**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1466**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**बोड़ो क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष पैकेज**

**1466. श्री ए॰ मोहम्मदजनः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रदेश को पुनः बनाने, और उसका पुनः नामकरण करने के लिए बोड़ो समूहों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया हैं;**

**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने बोड़ो क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष पैकेज देने के लिए सहमति दे दी है; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (घ): ऑल बोडो स्‍टूडेंट्स यूनियन (एबीएसयू), यूनाइटेड बोडो पीपुल्‍स ऑर्गनाइजेशन (यूबीपीओ) और नेशनल डेमोक्रटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के विभिन्‍न गुटों ने दिनांक 27.01.2020 को भारत सरकार और असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं, जिसमें एक आयोग की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान किया गया है, जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों (बीटीएडी) से सटे हुए जनजातीय जनसंख्‍या बहुल गांवों को शामिल किए जाने तथा बीटीएडी के तहत वर्तमान में शामिल उन गैर-जनजातीय जनसंख्‍या बहुल गांवों, जो गैर-छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों से सटे हुए हैं, को बाहर किए जाने की जांच करेगा। मौजूदा बीटीएडी का नाम बदलकर बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र किया जाएगा, जिसमें बीटीएडी के तहत कवर किए गए क्षेत्र शामिल होंगे।

 समझौते के अनुसार, असम सरकार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित कर सकती है। भारत सरकार इसी अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्‍त राशि का योगदान कर सकती है।

\*\*\*\*\*